

திரு. பெரியாற்காடு ஸ்ரீமத் தேவி முனிசுபலிடி  
குடியிருப்பு நிலைமை வெளியேஷன் போன்ற பணிகளை  
தொழிலாளிகளுக்கு விடுதலை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது என்று அறியப்படுகிறது.  
ஒரு காலை நூற்று முறை ரூபாய் கூடுதல் வாசனை.

— சிறை விடுதலை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது

ஒரு காலை நூற்று முறை ரூபாய் கூடுதல் வாசனை.

— சிறை

ஒரு காலை நூற்று முறை ரூபாய் கூடுதல் வாசனை.

ஒரு காலை நூற்று முறை ரூபாய் கூடுதல் வாசனை.

— சிறை விடுதலை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1354 / 111 / 14

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों  
के हस्ताक्षर

5.5.14

यह निगरानी तहसीलदार त्योथर जिला रीवा द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 में पारित अंतरिम आदेश  
दिनांक 21.4.14 के विरुद्ध मोप्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की  
धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा  
प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार  
करने एवं तहसीलदार त्योथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक  
24/ए-70/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.4.14  
के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक क्रमांक एक ने  
अनावेदक क्रमांक दो व तीन के विरुद्ध तहसील न्यायालय में  
संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन दिया, जिस पर  
सुनवाई हेतु प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 पंजीबद्ध हुआ।  
तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार  
प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 10 का आवेदन देकर पक्षकार  
बनाये जाने का निवेदन किया, जिसे तहसीलदार ने अंतरिम  
आदेश दिनांक 21-4-14 से निरस्त कर दिया। विचार योग्य  
बिन्दु यह है कि क्या आवेदक के हित तहसील न्यायालय में  
प्रचलित प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 से जुड़े हैं एवं वह  
हितबद्ध पक्षकार हैं ? आवेदक की ओर से व्यवहार वाद क्रमांक  
19 ए 98 में हुये आदेश दिनांक 7 फरवरी 2001 एवं व्यवहार

5.5.14  
b-5.14